न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 629 सन 2022

अनवान :-

1. मुकेश धायु पुत्र सत्यदेव जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. दलीपसिंह पुत्र सत्यदेव जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
2. रोहताश पुत्र रामस्वरूप जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
3. राजेश कुमार पुत्र देवीलाल जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
4. सरजीत पुत्र देवीलाल जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
5. भूपसिंह पुत्र जयदेव जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
6. विक्रम पुत्र सुरेश पुत्र जयदेव जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
7. बजरंग पुत्र भलेराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
8. धर्मवीर पुत्र भलेराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
9. यशोदा पुत्री श्रीराम उर्फ काशीराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
10. दुलाहरी देवी पुत्री सत्यदेव जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
11. सुमित्रा पुत्री सत्यदेव जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
12. कमला पुत्री रामस्वरूप जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
13. राजबाला पुत्री रामस्वरूप जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
14. सावत्री पत्नी देवीलाल जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
15. पुष्पा पुत्री देवीलाल जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
16. प्रवीण पुत्र सुरेश पुत्र जयदेव जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
17. गायत्री पत्नी भेलराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 03/08/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 32/28 की कुल 1.2640हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक श्रीराम पुत्र माना के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में श्रीराम उर्फ काशीराम पुत्र माना के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है वादी के दादा श्रीराम उर्फ काशीराम पुत्र माना उसके पुत्र जयदेव , सत्येदव , रामस्वरुप , देवीलाल फोत हो चुके है तथा जयदेव के पुत्र सुरेश , भलेराम का भी देहान्त हो चुका है इसलिये श्रीराम उर्फ काशीराम पुत्र माना के नाम दर्ज भूमि सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 9 ता 18 वादी की बहने /बुआ आदि है श्रीराम उर्फ काशीराम पुत्र माना की पुत्री /पौत्री है प्रतिवादी संख्या 9 ता 18 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 18 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की श्रीराम उर्फ काशीराम पुत्र माना जो वादी का दादा है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में श्रीराम उर्फ काशीराम पुत्र माना के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है वादी के दादा श्रीराम उर्फ काशीराम पुत्र माना उसके पुत्र जयदेव , सत्येदव , रामस्वरूप , देवीलाल फोत हो चुके है तथा जयदेव के पुत्र सुरेश , भलेराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 है जो वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 18 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/भतिजो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 19 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 32/28 की कुल 1.2640हैक्ट में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक श्रीराम पुत्र माना के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में श्रीराम उर्फ काशीराम पुत्र माना के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है वादी के दादा श्रीराम उर्फ काशीराम पुत्र माना उसके पुत्र जयदेव , सत्येदव , रामस्वरूप , देवीलाल फोत हो चुके है तथा जयदेव के पुत्र सुरेश , भलेराम का भी देहान्त हो चुका है इसलिये श्रीराम उर्फ काशीराम पुत्र माना के नाम दर्ज भूमि सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 9 ता 18 वादी की बहने /बुआ आदि है श्रीराम उर्फ काशीराम पुत्र माना की पुत्री /पौत्री है प्रतिवादी संख्या 9 ता 18 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 18 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
(हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 32/28 की कुल 1.2640हैक्ट में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक श्रीराम पुत्र माना के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में श्रीराम उर्फ काशीराम पुत्र माना के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है वादी के दादा श्रीराम उर्फ काशीराम पुत्र माना उसके पुत्र जयदेव , सत्येदव , रामस्वरूप , देवीलाल फोत हो चुके है तथा जयदेव के पुत्र सुरेश , भलेराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान राजस्व खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 है जो वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 9 ता 18 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 9 ता 18 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 18 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 32/28 की कुल 1.2640हैक्ट में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक श्रीराम पुत्र माना के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर 1/4 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब व 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 तथा 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब व 1/12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 5 व 1/12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 6 तथा 1/12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 7 ,8 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03/8/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. मुकेश धामु पुत्र सत्यदेव जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. दलीपसिंह पुत्र सत्यदेव जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
2. रोहताश पुत्र रामस्वरूप जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
3. राजेश कुमार पुत्र देवीलाल जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
4. सरजीत पुत्र देवीलाल जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
5. भूपसिंह पुत्र जयदेव जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
6. विक्रम पुत्र सुरेश पुत्र जयदेव जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
7. बजरंग पुत्र भलेराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
8. धर्मवीर पुत्र भलेराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
9. यशोदा पुत्री श्रीराम उर्फ काशीराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
10. दुलाहरी देवी पुत्री सत्यदेव जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
11. सुमित्रा पुत्री सत्यदेव जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
12. कमला पुत्री रामस्वरूप जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
13. राजबाला पुत्री रामस्वरूप जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
14. सावत्री पत्नी देवीलाल जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
15. पुष्पा पुत्री देवीलाल जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
16. प्रवीण पुत्र सुरेश पुत्र जयदेव जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
17. गायत्री पत्नी भेलराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 629 सन 2022 निर्णय दिनांक– 03/8/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 32/28 की कुल 1.2640हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक श्रीराम पुत्र माना के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर 1/4 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब व 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 तथा 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब व 1/12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 5 व 1/12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 6 तथा 1/12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 7 ,8 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with OKEN Scanner